

2
09/8/24

हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त विनियम) विभाग

संख्या: फिन (सी) ए (3) 5/2023

तारीख

शिमला-2

07 अगस्त, 2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू सेंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव) रूज़, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव) हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये नियम इनके राजपत्र (ई-गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- रूल 56 का प्रतिस्थापन। 2. हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू सेंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव) रूज़, 1972, के रूल 56 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"56. Leave Salary during Study Leave.-

- (1) Except as provided in sub-rule (5), during Study Leave availed of outside India, a Government servant shall draw Leave Salary equal to 40% of the pay that the Government servant drew while on duty with Government immediately before proceeding on such leave and in addition the Dearness Allowance and House Rent Allowance.
- (2) Except as provided in sub-rule (5), during Study Leave availed of in India, a Government servant shall draw Leave Salary equal to 40% of the pay that the Government servant drew while on duty with Government immediately before proceeding on such leave and in addition the Dearness Allowance and House Rent Allowance as admissible in accordance with the provisions of Rule 60.

र.ग.
07/08/2024

Sr. Secy
09/8/2024

- (3) Payment of leave salary at the rate under sub-rule (2) shall be subject to furnishing of a certificate by the Government servant to the effect that he is not in receipt of any scholarship, stipend, or remuneration in respect of any part-time employment.
- (4) The amount, if any, received by a Government servant during the period of Study Leave as scholarship or stipend or remuneration in respect of any part-time employment, shall be adjusted against the Leave Salary payable under this sub-rule subject to the condition that the Leave Salary shall not be reduced to an amount less than that payable as Leave Salary during half-pay leave.
- (5) During the currency of Study Leave within or outside India on or after 1st day of January, 1996, a Central Government servant shall draw benefits of Revised Pay from the date such revision took place."

आदेश द्वारा

देवेश कुमार
प्रधान सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

07/08/2024

- पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि तारीख शिमला-2 07 अगस्त, 2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-
1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
 2. आवासीय आयुक्त, हिमाचल भवन सिकंदरा रोड, नई दिल्ली।
 3. समस्त विभागीय प्रमुख, हिमाचल प्रदेश।
 4. समस्त मंडलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
 5. महा पंजीयक, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला-171001
 6. प्रधान महालेखाकार (ले०प०), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003
 7. महालेखाकार (ले०व० ह०), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003

निरंतर पृष्ठ 3/.....


अनुसूची संख्या

8. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश।
10. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
11. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004
12. सचिव, लोकायुक्त पाइन ग्रोव बिल्डिंग शिमला-171002
13. सचिव, हि०प्र० लोक सेवा आयोग, निगम विहार, शिमला-171002
14. सचिव, हि०प्र० राज्य विद्युत् नियामक आयोग, शिमला।
15. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005
16. गार्ड फाइल।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)

20 AUG.2024

शिमला-1


राजेंद्र शर्मा
(राजेंद्र शर्मा)

संयुक्त सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला-171001.


पृष्ठांकन संख्या: ई०डी०एन०-एच०(एली०)बी०-6/99-2010-वोल०-VI-113(Fin), दिनांक अगस्त, 2024
प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त नियन्त्रक (एफ० एण्ड ए०) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि०प्र० शिमला-1.
2. समस्त शाखा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि०प्र० शिमला-1.
3. जिला न्यायवादी, प्रारम्भिक शिक्षा हि०प्र० शिमला-1.
4. समस्त उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हि० प्र० को निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधिनस्थ/कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भी सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना से अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हि०प्र० शिमला-1.
6. सहायक नियन्त्रक (एफ० एण्ड ए०), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि०प्र० शिमला-1.
7. समस्त शाखा अधिकारी/प्रभारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि०प्र० शिमला-1.
8. अनुभाग अधिकारी (एफ० एण्ड ए०), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि०प्र० शिमला-1.
9. प्रभारी आई०टी० प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि० प्र० को निर्देश दिये जाते हैं कि इसे प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि०प्र० शिमला-1.
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि०प्र० शिमला-1.
12. रक्षक नस्ति।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)

20 AUG 2024

शिमला-1


(बी० आर० शर्मा)हि०प्र०से०
अति० निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल-प्रदेश शिमला-1.